न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्या :– 28 / 2017

1. बाबूलाल पुत्र रामसहाय } जाति मीना निवासी बूचाका तह. नगर
2. भुल्ली पुत्र रामसहाय } व जिला भरतपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

गंगाराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाटव निवासी बूचाका तह. नगर जिला भरतपुर।

.... रेस्पोन्डेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:– 20–06–2019

अपीलाण्ट के द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार नगर दिनांक 28.12.2016 अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 एवं धारा 151 सी.पी.सी. विरुद्ध आदेश 23.02.2016 अंतर्गत धारा प्रकरण सं. 1/2016 प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की बावत विरुद्ध रेस्पोंडेण्ट इस प्रकार पेश की है कि वाके ग्राम बूचाका तह0 नगर स्थित आराजी गत खसरा नंबर 175 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को अपीलाण्ट के पिता ने इस आराजी के तत्कालीन खातेदार काश्तकार स्व. गुट्ठल पुत्र गुम्मनी जाति चमार निवासी बूचाका से 9 हजार रु. प्रतिफल राशि में जरिये विक्रय पत्र दि0 02.01.1995 में क्रय किया है। तब से उक्त आराजी पर अपीलाण्ट का पिता रामसहाय वादग्रस्त

Scanned by CamScanner

आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त गत खसरा नंबर से नया नंबर 220/0.68 बनाया गया है। गुट्ठल की मृत्यु के बाद विरासतन का नामान्तरकरण उसके पुत्रगण परमौली व परभाती व परसादी के नाम स्वीकृत किया जाकर उनके नाम उक्त नवीन नंबरों पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून खातेदार के इन्द्राज कर दिये हैं जो काबिल खारिज के हैं और गुट्ठल व उससे विरासत में प्राप्त उसके पुत्रगण के समस्त खातेदारी अधिकार यदि कोई शेष रहे हैं तो धारा 63(1)(बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समाप्त हो चुके हैं। इस प्रकार भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत है। उक्त परमौली द्वारा गलत इन्द्राज खातेदारी का अनैतिक लाभ उठाते हुए उक्त आराजी का वयनामा उत्तरवादी के हक में दि0 02.01.2015 को कर दिया, जबकि उक्त विक्रय पत्र के तहत कोई कब्जा व प्रतिफल राशि का आदान प्रदान नहीं हुआ। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 357 दि0 23.03.2015 आरंभ से ही शून्य है। संविधा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त शून्य विक्रय पत्र के आधार पर उत्तरवादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार मानकर खण्डनाधीश आदेश देने में भारी त्रुटि की है।

मौके पर आज तक भौतिक कब्जा अपीलार्थी के पिता का है, उनके साथ अपीलार्थी का भी। उत्तरवादी का विवादित आराजी के किसी भाग पर कभी कोई कब्जा कथित वयनामा के तहत नहीं है, जैसा कि पालना रिपोर्ट 25.04.2016 पटवारी हलका एवं 08.06.2015 की गिरदावर और पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। इस आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से अपीलार्थी एवं उनके पिता के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि0 23.02.2016 के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार नगर के समक्ष रिव्यू पिटीशन पेश किया था, जो दि0 28.12.2016 को खारिज कर दिया।

Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट द्वारा निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय तहसीलदार नगर दि0 28.12.2016 एवं 23.02.2016 निरस्त की जावे एवं कार्यवाही अंतर्गत धारा 183 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम खारिज की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार नगर के आदेश दि0 23.02.2016 के विरुद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोंडेण्ट की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से की गई व तहत न्यायालय की पत्रावली को तलब किया। तहत अदालत की पत्रावली संलग्न मिसल है। रेस्पोंडेण्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित आए। तत्पश्चात पत्रावली बहस में नियत की गई। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया।

अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम निर्णय किया जाना कानूनन आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णय किया जा रहा है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील को अंदर मियाद मानकर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया है जिसके समर्थन में अपीलाण्ट बाबूलाल द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पोंडेण्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई जवाब पेश नहीं किया है इसलिए अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास न करने का कोई आधार शेष नहीं रहा है। उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी विभिन्न नजीरों में धारा 5 मियाद अधिनियम पर Liberal View अपनाने हेतु नजीरें दी हैं तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसलिए हस्तगत अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है और अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट द्वारा अपील में यह तर्क दिया है कि अपीलाण्ट के पिता ने साविक आराजी ख.नं. 175 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बूचाका तहसील नगर को तत्कालीन खातेदार गुट्ठल पुत्र गुम्मनी से 9000/– रु. प्रतिफल देकर दि0 02.01.1975 को क्रय किया और कब्जा प्राप्त किया। जिसका नवीन नंबर 220/0.68 बनाया है। गुट्ठल की मृत्यु उपरान्त आराजी उसके पुत्रगण क्रमशः परमोली, परभाती और परसादी के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर खातेदार दर्ज कर दिया, जो खिलाफ कानून है। अपीलाण्ट का कब्जा 12 वर्ष की अवधि से ज्यादा हो चुका है। गुट्ठल एवं वारिसों के खातेदारी अधिकार 63(1)(बी) आर.टी.ए. के अनुसार समाप्त हो चुके हैं। गलत इन्द्राजों की आड़ में दि0 01.02.2015 को पुनः आराजी को विक्रय कर दिया है और नामान्तरकरण सं0 375 दि0 23.03.2015 से स्वीकृत करा लिया है जो शून्य है। भौतिक कब्जा अप्रार्थी के पिता का है। पालना रिपोर्ट दि0 25.04.2016 पटवारी हलका एवं दि0 08.06.2015 गिरदावर व हलका पटवारी की रिपोर्ट से अपीलार्थी का कब्जा साबित है। उपखण्ड अधिकारी नगर से अपीलार्थी व उनके पिता के हक में स्थगन आदेश जारी हैं।

उपरोक्त तथ्यों की बावत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी के पिता द्वारा वादग्रस्त खसरा नंबर को 9000/–रु. की प्रतिफल राशि देकर दि0 02.01.1975 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा साबित है जिसकी ताइद पटवारी रिपोर्ट दि0 क्रमशः 25.04.2016 व 08.06.2015 साबित है। अपीलाण्ट का कब्जा दि0 02.01.1975 से बदस्तूर चला आ रहा है, जिसको 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है गुट्ठल द्वारा आराजी को दि0 02.01.1975 को अपीलार्थी के पिता को विक्रय कर देने से गुट्ठल व उसके वारिसान परमौली, परभाती व परसादी को कोई अधिकार आराजी पर नहीं रहा है। लेकिन इन्होंने उक्त वयनामा का छिपाकर अपने नाम नामान्तरकरण करवाकर खातेदारी दर्ज करा ली और पहले वयनामे को छिपाकर दूसरा वयनामा

Scanned by CamScanner

दिनांक 02.01.1975 को रेस्पोंडेण्ट को करा दिया है। कानूनन प्रथम वयनामा वैध होता है। इसलिए अपील अपीलार्थी के पिता के नाम दि0 02.01.1975 को हुआ वयनामा वैध है। द्वितीय वयनामा दि0 02.01.2015 से कोई अधिकार रेस्पोंडेण्ट को प्राप्त नहीं होते हैं। पटवारी रिपोर्ट दि0 25.04.2016 व 08.06.2015 द्वितीय वयनामा दि0 02.01.2015 के बाद तैयार की गई है। यदि वयनामा दि0 02.01.2015 के आधार पर रेस्पोंडेण्ट का कब्जा आराजी पर होता तो उक्त रिपोर्ट में उसका कब्जा अंकित किया जाता, लेकिन कब्जा रेस्पोंडेण्ट का न होकर अपीलार्थी व उनके पिता का दर्शाया गया है। यहां यह तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दि0 28.12.2016 व 23.02.2016 के समय अपीलाधीन आराजी पर अपीलार्थीगण के हक में उपखण्ड अधिकारी नगर से स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ था, लेकिन तहत अदालत द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार योग्य नहीं है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। न्यायालय तहसीलदार नगर के निर्णय दि0 28.12.2016 एवं 23.02.2016 अपास्त किये जाते हैं। तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner